



1811

दूरभाष 2286709
2286710

नव देतगा कंच 10 प्रशांक मार्ग, ललतपुर, 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 903 / 05/76/एक/2016-17

दिनांक 09 जून 2016

सेवा में,
जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-कानपुर नगर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (दूडा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वर्सियों तथा मलिन वर्सियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु0 में)			
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	50100092871077	IFSC Code HDFC0002080	274 634
(धनराशि लाख रु0 में)			

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किशा की धनराशि का प्रेषण
1	कानपुर नगर	अत्यसंख्यक-37 बजट		मो0 कश्यप नगर पार्ट-ए में सुधीर के घर से बन्दू गुप्ता के घर तक, रामप्रकाश यादव के घर से राधवेन्द्र के घर तक, जयप्रकाश सोनकर के घर से श्याम नारायण दिवेदी के घर होते हुये राजेश प्रजापति के घर तक, गिरीश सोनकर के घर से छोटे लाल के घर तक, मंगल प्रजापति के घर से नीरज प्रजापति के घर तक, मंगल प्रजापति से अम्बेडकर मूर्ति तक, जनप्रति ट्रेडर्स से हीरालाल वर्मा एवं जयराम पाल के घर होते हुये सुभाष के घर तक, सपना सिंह के घर से सुभाष चन्द्र गौतम के घर होते हुये हरनाम सिंह संगर के घर तक, गिरीश दुबे से रञ्जन गुप्ता के घर तक एवं पिन्टू तिवारी के घर से नरेश के घर तक, संजय पाल के घर से दिनेश चन्द्र पाण्डेय के घर होते हुये रामपाल के घर तक, राम नारायण निगम के घर से जान चन्द्र गंगवार के घर तक, सुभाष चन्द्र गौतम के घर से राजेन्द्र सिंह संगर के घर तक, अनिल के घर से सन्तोष के घर होते हुये कृष्ण चन्द्र के घर तक, पंकज तिवारी के घर से संजय दुबे के घर तक एवं डा० अनुपमा मिश्रा के घर से आशा के घर तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	135.331
2	कानपुर नगर	अत्यसंख्यक-37 बजट		मो0 कश्यप नगर पार्ट-डी में ए0के0 मिश्रा के घर से विनोद यादव के घर होते हुये राम आसरे यादव के घर तक, विजय अवस्थी के घर से श्याम अवस्थी के घर तक, राकेश शुक्ला के घर से अनीता कटियार के घर होते हुये पवन मिश्रा के घर तक एवं पास की गलियों में, महेश सविता के घर से मिन्दू मिश्रा के घर होते हुये साधू के घर तक एवं पास की गलियों में, गोविन्द के घर से मुन्ना के घर तक एवं पास की गलियों में, नरेश कुशवाहा के घर से राजू के घर तक, तान्या टेलीकाम से बी0एल0एस0डी0 शिक्षा निकेतन तक एवं पास वाली गलियों में,	139.303



(१८)२

दृग्भाष - 2286709
2286710

नव वेतना केंद्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
				बी०एल०एस०डी० शिक्षा निकेतन से रोड तक एवं पास की गलियों में इंटरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्य।	
	योग				274.634

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वरितियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

- 1— उप्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मलिन वरितियों में सी०सी० रोड अथवा इंटरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आ००/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2— स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3— प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4— अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में समिलित है जिससे कि शारकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5— स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6— प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुरांगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- 7— परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख—रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016–17 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि दुड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद की अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अकेत कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।



१८१३

दूरभाष— 2286709
2286710

नव घोटाला कॉन्ट्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

12—

शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. परियोजना अधिकारी, सूडा।।
3. अधिकारी अधिकारी—सूडा
4. कम्प्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक